राजभाषा कार्यान्ययन – जांच बिन्दु एवं अनुदेश 2018-19

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION - CHECK POINTS AND INSTRUCTIONS 2018-19 जांच बिन्दु एवं कार्यप्रणाली Check point & Procedure राजभाषा विभाग हारा राजभाषा नियमों के अनुपालन

हेतु जारी अनुदेश Instructions for compliance Implementation of Official Language Rules issued by the Department of Official Language

1

1.

राजभाषा अधिनियम, 1963 की घारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना.

सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनायें, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदायें, करार, अनुज्ञाप्तियां, अनुज्ञा पत्र, टेंडर नोटिस, टेंडर फार्म और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात हिन्दी व अंग्रेजी में जारी किए जाने चाहिये ।

Issuance of documents under Section 3(3) of the O.L. Act, 1963 in bilingual form

All Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and other reports, Press Communiqués, Contracts, Agreements, Licences, Permits, Tender Notices, Forms of Tender, Reports and documents to be laid before the Houses of Parliament should be issued both in Hindi and in English.

निर्घारित प्रयोजन के लिए हिन्दी व अंग्रेजी का प्रयोग 11.

> क) आम जनता की जानकारी के लिए प्रदर्शित सभी सूचना पट्टों , नेम प्लेट और गाड़ियों के नेम प्लेट आदि को द्विभाषी रूप में तैयार करवायें। ऐसी सामग्रियों को तैयार करते समय हिन्दी भाषा ऊपर और उसके नीचे अंग्रेजी होनी चाहिए तथा अक्षरों के आकार समान होना चाहिए।

> ख) सभी खड की मोहरें, पत्र शीर्ष, रजिस्टरों के शीर्षक, फार्म तथा लिखित/ मुद्रित या उत्कीर्ण अन्य सामग्रियां हिन्दी तथा अंग्रेजी में होनी चाहिए।

Use of Hindi and English for specified purpose

- a) All sign Boards, name plates, name plate in official vehicle etc. displayed for the public information, should be prepared in bilingual form. While preparing such items Hindi should be on the top and English in the bottom and all the letters should be equal in size.
- b) All rubber stamps, letter heads, headings of registers, forms and other items of stationary written, printed or inscribed should be in bilingual pattern i.e. in Hindi and in English.

सभी अनुभाग /All Sections

ऐसे कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कागजात द्विभाषी रूप में ही तैयार किए जाएं और जारी किए जाएं । यह भी सुनिश्चित करें कि वे कागजात हिन्दी व अँग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में अपलोड किए जायें।

नेमी आदेशों की पहचान की जाये और उनको द्विभाषी रूप में तैयार

All the Officers signing such documents should ensure that all the documents are prepared and issued in bilingual form only. Concerned officers should ensure bilingual uploading of such documents in official

Routine orders should be identified and prepared in bilingual form.

सी.एच.एस. अनुभाग एवं रेकॉर्ड्स अनुभाग / C.H.S. & Records Section

साईन बोर्ड, रबड मोहर, बैनर और नेम प्लेट तैयार करवाने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी मदों को द्विभाषी रूप में तैयार करवायें और उसे इस्तेमाल में लायें।

स्टेशनरी जैसे रजिस्टर, गार्ड फ़ाइल कवर, सरकारी लिफाफे, प्रिंटेड सामाग्री आदि तैयार करवाने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी मदों को द्विभाषी रूप में तैयार करवायें और उसे इस्तेमाल में लायें।

कार्यालय में प्रयोग किए जा रहे सभी मुद्रित फॉर्म द्विभाषी/हिन्दी में उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।/

अनुभाग प्रमुख सभी संबन्धित अनुभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में आदेशो का अनुपालन हो रहा है।

Officers responsible for preparing Sign Board, Banner Name Plates & Rubber Stamp should ensure that all such items are prepared and used in bilingual form.

Officers responsible for preparing Stationery i.e. Guard files, Registers, Govt. Envelops etc. should ensure that all such items are prepared and used in bilingual only.

All printed forms of the office are available in Bilingual/Hindi. Make sure to use them.

Section Heads

Concerned Section Heads should ensure that the instructions are being complied with.

Content Administrator/Incharge of the website

जाना। है।

office in bilingual form.

कार्यालय की वेबसाइट को अपडेट एवं द्विभाषी बनाना सुनिश्चित किया

Insuring preparation and updation of the website of the

कार्यालय वैबसाइट पूर्णतः दविभाषी रूप में तैयार

The office website is to be prepared in bilingual

की जानी है।

form compulsorily

.टेप्पणी एवं रजिस्टरों पर प्रविष्टि / Noting & Signature सभी अधिकारियों द्वारा फाइलों में टिप्पणी, रजिस्टरों में प्रविधि हिन्दी में की जाये ।फ़ाइल के कवर पर लिखे जाने वाले विषय /शीर्षक भी तिभाषी हों।

Entries in registers, noting in file should be made in Hindi. Subjects/litles of the file should be bilingual.

फाइल भें काम करने वाले अधिकारियों द्वारा हिन्दी में भी टिप्पण लिखा जाये। राजभाषा थिभाग ने हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य 50% रखा है। Officers dealing with file should write notings in Hindi as per the target set of 50% Hindi notings from the Deptt. Of O.L. for 'B' Region. Section Head should ensure the compliance of the directions.

सेवा पुस्तिकाओं व रजिस्टरों में हिन्दी में पविष्टियाँ।

Entries in Hindi in Service Books and Registers:

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशानुसार क एवं 'ख क्षेत्रों के कार्यालयों में उपलब्ध सभी रजिस्टरों एवं उसमें कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा - पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए तथा उनमें प्रविष्टियां केवल हिन्दी में की जानी चाहिए। इस वात की पड़ताल सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां करते समय। उस पर हस्ताक्षर करते समय कर ली जाए

In accordance with the order of the Ministry of Home Affairs, Deptt. of O.L all registers available in the Offices of Region "A"& "B" and Heading of the Service Books in respect of all the officers working therein should be in bilingual form and entries should only be made therein in Hindi. This fact should be examined at the time of making entry in the Service Books/signing the Service-Books.

कार्यालयों के सभी कम्प्यूटर द्विभाषी टंकण सुविधा वाले होने VII चाहिए। भारत सरकार ने इसके लिए 100% लक्ष्य रखा है।

कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों पर यूनिकोड सुविधा उपलब्ध होना है। हिन्दी टाइपिंग में इसका प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। / Unicode facility should be available on all the computers of the office. Make sure to use this facility for Hindi typing.

> शाजीव शंकर (राजीव शंकर) संयुक्त आयुक्त, सीमाश्लक